न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2019

1. श्री छीतर पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
2. प्रधान पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
3. रिद्धकरण पुत्र श्री भोलू जाति जाट निवासी ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
4. तहसीलदार, तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 13-1-20

उपस्थितः श्री प्रतिक मेहता — प्रार्थी अभिभाषक
श्री रामदेव गुर्जर — अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री प्रतिक मेहता के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212(1) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 681/1 रकबा 0.4050 हैक्टेयर भूमि ग्राम गागुन्दा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 में स्थित है एवं प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु एक पट्टीपोश खुली साल व कमरा निर्मित कर रखा है जिसमें प्रार्थी अपने कृषि उपज एवं कृषि औजार रखता आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 एवं उनके रिश्तेदार, परिजनों ने दिनांक 21.09.2018 को प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर निर्मित खुली साल व कमरे पर लगे ताले को बदनियति से हड़पने के आशय से उक्त कमरे पर लगा प्रार्थी का ताला तोड़कर वहा रखे पानी के पाईप, पांच बोरी चने एवं दो बोरी मैथी को चोरी कर लिया और प्रार्थी की सहमती के बिना उक्त कमरे पर अपना ताला लगा दिया। उपरोक्त अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 द्वारा किये गये अवैध अतिचार एवं आपराधिक कृत्य के विरूद्ध प्रार्थी ने थाना बान्दरसिन्दरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 100/2018 अन्तर्गत धारा 380, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवायी गई जिसके पश्चात् अप्रार्थीगण, प्रार्थी एवं उसके परिजनों को जान से मारने पर आमदा है और इसी क्रम में पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी द्वारा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगणों को अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. के तहत् निरोधात्मक कार्यवाही के तहत् दिनांक 30.11.2018 को पाबन्द भी किया गया है परन्तु पक्षकारान् के मध्य उक्त भूमि को लेकर खूनी रंजिश हो चुकी है जिससे पक्षकारान् को जान माल की हानि होने की पूर्ण आशंका है। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 100/2018 से बचने के लिये एक राजस्व वाद सं0 308/2018, बउनवानी हनुमान बनाम छीतर अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा अपना समुचित प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी उपरोक्त वाद वर्णित कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 ने प्रार्थी को उसकी मालिकाना हक की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया है इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्तनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त कृषि भूमि, कमरे एवं साल पर तदस्थ रिसिवर नियुक्त करने एवं उक्त अप्रार्थीगणों को वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं करने एवं उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य इत्यादि कर स्वरूप नहीं बदलने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह **(Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4)** के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके जवाबकर्ता सं0 1 को कब्जा संभलाया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी गई है जिसमें पुलिस थानाधिकारी द्वारा एफ0आर0 पेश कर दी गई है। वादग्रस्त भूमि पर जवाबकर्तागण द्वारा शान्ति पूर्वक काबिज व उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी जानबुझकर गलत तथ्यों के आधार पर रिसिवर नियुक्त करवाना चाह रहा है एवं प्रार्थी के पक्ष में धारा 212 के तीन महत्वपूर्ण घटक सिद्ध नहीं है। खरिद पश्चात् जवाबकर्तागण द्वारा मौके पर पक्का चारागृह बनाया गया है जवाबकर्तागण द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ताला नहीं तोड़ा है एवं न ही कोई चोरी की गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थी द्वारा विक्रय करने के पश्चात् जवाबकर्तागण को झुंठा फसाने के चक्कर में झुठी एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी गई है। जवाबकर्तागण द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत् खारीज कर दिया गया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। जवाबकर्ता सं0 1 सद्भाविक है जिसके विरूद्ध बेदखली नहीं की जा सकती है चूंकि प्रार्थी धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के तहत् वाद पेश नहीं किया गया है। जवाबकर्ता सं0 1 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी उद्घोषणा का वाद पेश करने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जो गलत है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वर्णित आराजीयात् में खातेदारी उद्घोषणा का वाद विचाराधीन रहते हुए बेदखली का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी सं0 1 जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) का खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भूमि को लेकर पूर्व में भी खुनी विवाद हो चुका इसलिए वादग्रस्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि यह नहीं है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी भी पक्ष का कब्जा नहीं है जिसके कारण रिसिवर नियुक्ति की आवश्यकता हो। स्वयं प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है। अतः रिसिवर की नियुक्ति के आधार पर कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है।

5. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया गया।

6. विचाराधीन प्रकरण में निम्न बिन्दू विचारणीय है :–

(1) कि विवादित आराजी **In Medio** अर्थात क्या उक्त विवादित आराजी पर किसी भी पक्ष का कब्जा सिद्ध नहीं हो रहा है। यह सही है कि विवादित भूमि का छीतर रिकार्ड अनुसार खातेदार है परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही प्रथम दृष्टया उसका कब्जा प्रतीत नहीं होता है। रिसिवर नियुक्त करना एक कठिनतम उपाय है एवं इसे सामान्यतः प्रयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। रिसिवर के आधार पर किसी कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13-1-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra.

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: